राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

06/8/20

अपील संख्या :- 108/2019

उनवान :- रामेश्वर बनाम गोकुल

अपील संख्या :-476/2019

उनवान:- बिरजू बनाम गोकुल

अपील संख्या :- 688/2019

उनवान :- प्रवेश मित्तल बनाम गोकुल

अपील संख्या :-793/2018

उनवान :- ललिता देवी बनाम गोकुल

आज यह पत्रावलीयां वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई | संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है की सहायक कलेक्टर कोटपुतली के समक्ष वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अन्य के द्वारा एक वाद बाबत संदर्भित आराजीयात के तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपस्थित पक्षकारान से साक्ष्य प्राप्त कर दिनांक 12/07/2016 को वाद में प्रारम्भिक डिक्री पारित की गयी तत्तपश्चात वाद में दिनांक 11/04/2017 को अंतिम डिक्री पारित की गयी | जिसके विरुद्द प्रतिवादी/अपीलांट रामेश्वर प्रसाद द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 12/03/2019 अपील प्रस्तुत की गयी | इसी प्रकार अपीलार्थी बिरजू पुत्र फुला द्वारा दिनांक 16/09/2019 को एक पृथक अपील प्रस्तुत की गयी | इसी प्रकार श्रीमती ललिता देवी पत्नी लालचन्द द्वारा दिनांक 14/08/2018 को एक पृथक अपील प्रस्तुत की गयी एवं एक अन्य अपील अपीलार्थी प्रवेश मित्तल के द्वारा दिनांक 26/12/2019 को प्रस्तुत की गयी | चूँकि उपरोक्त समस्त अपीले मियाद बाहर प्रस्तुत हुई, इसलिये समस्त अपीलों के साथ प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद मय शपथ पत्र प्रस्तुत हुये |

चूँकि न्यायिक प्रावधानों के अनुसार प्रकरण के गुणावगुण पर गौर करने से पूर्व मियाद के बिन्दु का निस्तारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

किया जाना आवश्यक है | अतः सर्वप्रथम अभिभाषक पक्षकारान को अपीलों में विधमान मियाद के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावलीयो पर उपलब्ध सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया |

इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम अपीलार्थी रामेश्वर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद का मनन किया | जिसमे प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 17/02/2019 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के कर्मचारियों द्वारा अपीलार्थी को ऐलानिया धमकी दी, अपीलार्थी को उसके हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा कर तुम्हे बेदखल करेंगे तत्पश्चात अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के बाद अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी कर दिनांक 08/03/2019 को नकल ली जाकर वकील से सलाह कर अपील प्रस्तुत की गयी | इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया गया | जिसमे प्रार्थी/अपीलार्थी के विरुद्द अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार दिनांक 25/11/2014 को रजिस्टर्ड नोटिस के द्वारा तामिल होने पर उनके विरुद्द एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी | प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कही अंकित नही किया है कि उस पर रजिस्टर्ड नोटिस तामिल होने के पश्चात वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित क्यों नही हो सका | न ही प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि उस पर अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की कभी तामिल ही नही हुई जबकी क़ानूनी प्रावधानों के अनुसार रजिस्टर्ड नोटिस की तामिल को पुख्ता तामिल माना गया है | इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कही अंकित नही किया गया है कि उनको दिनांक 17/02/2019 को ही रेस्पोडेन्ट द्वारा धमकी क्यों दी गयी जबकि निर्णय करीबन उक्त दिनांक से दो वर्ष पूर्व का है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद तकासमे का था, जिसका तात्पर्य यह है की अपीलार्थी, वादी/रेस्पोडेन्ट के साथ सहखातेदार रहे है तो स्वाभाविक रूप से प्रशनगत आराजी पर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

(3)

काबिज भी रहे होंगे, जिससे दिनांक 17/02/2019 को धमकी देने का बिन्दु पूर्ण रूप से संदग्धि है | इस सन्दर्भ में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा उद्दरित AIR 1998 SC पेज 2276 जो निम्न प्रकार है :- " Delay condoned without recording satisfaction of resneble or setisfactory explinestion for in ordinate delay condonation of delay not proper and judicious.

इसी प्रकार 2007 RBJ पेज 438(SC) में यही उद्दरित किया गया है जबकी RRT 2010(2) पेज 801 HC में उद्दरित किया गया है कि "अपील पेश करने में तीन दिन का विलम्ब, विलम्ब हेतु पर्याप्त कारण स्पष्ट नही किया, आवेदन व अपील ख़ारिज की गयी" |

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपनी जवाब बहस में निवेदन किया की न्यायालय को मात्र तकनीकीय बिन्दु पर प्रकरण का निस्तारण नही करना चाहिये जबकी प्रकरण में गुणावगुण पर पुख्ता प्रकरण बनता हो | प्रार्थना पत्र दफा-5 में प्रार्थी द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है उसे दिनांक 17/02/2019 से पूर्व अपीलाधीन निर्णय की कतई ही जानकारी नही थी अन्यथा वह अपने हितो की चाराजोही हेतु अवश्य कार्यवाही करता | अत: प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद स्वीकार फरमाया जाकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण फरमाया जावे |

हमने अपील संख्या 108/2019 उनवानी रामेश्वर बनाम गोकुल में अभिभाषक पक्षकारान द्वारा की गयी बहस पर गौर किया | इस सम्बन्ध में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में उठाई गयी आपत्तियों एवं प्रस्तुत की गयी नजीरो के विरुद्ध कोई तर्क संगत जवाब अपीलार्थी द्वारा नही दिया गया है, ना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहने की कोई वजह दर्ज कराई गयी है | अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा उद्दरित विभिन्न माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादित सिंद्धान्त विचाराधीन प्रकरण पर पूर्णरूप से लागु होने से अपीलार्थी को उसकी अपील में मियाद के सन्दर्भ में कोई लाभ नही दिया जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (4)	नम्बर व अहकाम हुक्म की

सकता | अतः अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद खारिज किया जाता है एवं फलस्वरूप अपील अपीलार्थी मियाद बाहर प्रस्तुत होना शुमार की जाकर खारिज की जाती है |

जहाँ तक अपील संख्या 476/2019 उनवानी बिरजू बनाम गोकुल जो की अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11/04/2017 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 16/09/2019 को प्रस्तुत की गयी है, के सन्दर्भ में अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद का अवलोकन किया गया है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय का कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ | अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 31/07/2019 को तब हुई जब एक अपील संख्या 108/2019 उनवानी रामेश्वर बनाम गोकुल के माननीय न्यायालय द्वारा जारी किये गये नोटिस प्राप्त हुये | मामले के तथ्यों की जानकारी हेतु अधीनस्थ न्यायालय की नकल प्राप्त करने का प्रयास किया गया | चूँकि योग्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटपुतली में उपलब्ध नही हो पाई | जिस कारण से उपरोक्त पत्रावली की जानकारी प्राप्त कर पत्रावली की नकल हेतु आवेदन कर नकल प्राप्त की | दिनांक 31/07/2019 के पश्चात अपीलांट वायरल बुखार से पीड़ित हो गया और अतिवृद होने के कारण कोटपुतली से आना जाना सम्भव नही हो पाया | जिस कारण यह अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है जो मजबूरीवश एवं जानकारी के अभाव में हुई है , इसलिये उक्त देरी को न्यायहित में माफ़ किया जाकर अपील को अन्दर अवधि शुमार किया जावे |

अभिभाषक अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में निवेदन किया की न्यायालय को जब प्रकरण गुणावगुण पर विवेचन योग्य हो तो तकनीकिय बिन्दु पर न जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करना चाहिये | चूँकि अपीलार्थी वृद व्यक्ति है एवं बीमार होने की वजह से अपील समय पर प्रस्तुत नही कर सका | इसलिये माननीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

दृष्टिकोण अपनाते हुये प्रार्थना पत्र दफा-5 को स्वीकार फरमाया जाकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण फरमाया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के प्रारम्भ में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 25/11/2014 तामिल करवाई गयी थी जो कानून में अतिविशिष्ट तरीके से तामिल कराये जाने की प्रक्रिया की श्रेणी में आता है जिसे अस्वीकार नही किया जा सकता अन्यथा भी यह मान्य नही हो सकता की तामिल की दिनांक 25/11/2014 के पश्चात निर्णय की दिनांक 11/04/2017 तक एवं उसके पश्चात भी दिनांक 31/07/2019 तक निर्णय जैर अपील की अपीलार्थी को जानकारी नही हुई हो जबकी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद तकासमॉं का था जो सहखातेदारो के मध्य होता है। अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थी के इस बिन्दु की वह बीमार होने की वजह से समय पर अपील प्रस्तुत नही कर सका, के सन्दर्भ में बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अपनी बीमारी के सन्दर्भ में कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया है एवं ना ही कोई चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। इस सन्दर्भ में अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा RRD 1986 पेज 22 उद्दरित की एवं कोई देरी का उचित कारण नही दिये जाने से प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद व अपील ख़ारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि उसे अधीनस्थ न्यायालय का कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 25/11/2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये थे किन्तु उसके अनुपस्थित रहने से उसके विरुद्द एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। रजिस्टर्ड नोटिस द्वारा तामिल स्वयं में पुख्ता तामिल की परिभाषा में आता है। अत: प्रार्थी/अपीलार्थी का यह अंकित करना की उसे कोई नोटिस अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नही हुआ ,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

मान्य नही हो सकता। इसके अतिरिक्त जानकारी में पश्चात देरी से अपील प्रस्तुत करने की वजह जो बीमारी का कारण अंकित किया गया है, उस हेतु अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा उद्धरित RRD 1986 पृष्ठ संख्या 22 स्पष्ट रूप से लागु होती है कि ऐसी वजह को सिद्ध करने के लिये प्रार्थी को अपने प्रार्थना पत्र के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र देना आवश्यक होता है जो प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा विचाराधीन प्रकरण ,में नही किया गया है। अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने में 2 वर्ष 5 माह का विलम्ब हुआ है, जिसे नजरअन्दाज करने हेतु प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त विवेचन के अनुसार कोई उचित कारण प्रस्तुत नही किये जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद ख़ारिज किया जाता है फलस्वरूप अपील अपीलार्थी मियाद बाहर प्रस्तुत होना शुमार की जाकर बैरून मियाद होने से ख़ारिज की जाती है।

अपील संख्या 688/2019 उनवानी प्रवेश मित्तल बनाम गोकुल अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटपुतली के निर्णय व डिक्री दिनांक 11/04/2017 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 16/12/2019 को प्रस्तुत हुई। चूँकि अपील 2 वर्ष 8 माह से भी अधिक समय पश्चात पेश की गई, अत: अपील के साथ दफा-5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ।

अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी ने अपील के विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के सन्दर्भ में निवेदन किया की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलार्थी को नही हो पाई। यह जानकारी दिनांक 19/12/2019 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा व रेस्पोडेन्ट संख्या 39 रामेश्वर प्रसाद के द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन अपील में न्यायालय हाजा द्वारा अपीलार्थी को नोटिस जारी हुये थे स्वयं उपस्थित हुआ तो इस बात की जानकारी हुई की अपीलार्थी की जमीन से सम्बन्धित विवाद न्यायालय में विचाराधीन है तब अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के यहा से नकल प्रार्थना पत्र पेश करके अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त की, जिसके पश्चात

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

(7)

प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा बिना कोई देरी किये अपील प्रस्तुत कर दी। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में निवेदन किया की अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है वह अपीलार्थी का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी के अभाव में व विशेष परिस्थितियों के कारण हुई है। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में यह भी निवेदन किया की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के पिता बतौर प्रतिवादी पक्षकार थे जिनका निधन दिनांक 23/03/2019 को हो जाने से भी अपील समय से प्रस्तुत नही की जा सकी। प्रार्थी/अपीलार्थी मृतक धनश्याम का पुत्र है जिसके द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है जो जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है इस देरी को क्षमा किया जाकर मूल अपील का गुणावगुण पर निर्णय फरमाया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी/रिस्पोडेन्ट ने बहस के प्रारम्भ में निवेदन किया की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11/04/2017 के है एवं अपील दिनांक 26/12/2019 को प्रस्तुत की गई है यानि अपील 2 वर्ष 8 माह के भी पश्चात प्रस्तुत की गयी है जो अतिविलम्ब की परिभाषा में आता है। अभिभाषक अप्रार्थी/रिस्पोडेन्ट ने हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 25/11/2014 की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी के पिता घनश्यामदास बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाये गये थे, जिनकी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तामिल करायी लेकिन प्रतिवादी घनश्यामदास बावजूद तामिल अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुये, इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी घनश्यामदास अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद की जानकारी के पश्चात भी उसमे कोई रूचि नही ले रहे थे। अभिभाषक अप्रार्थी/रिस्पोडेन्ट ने बहस में आगे निवेदन किया कि प्रतिवादी घनश्यामदास का निधन दिनांक 23/03/2019 को हुआ लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11/04/2017 से 22/03/2019 तक भी घनश्यामदास के जीवित रहते उनके द्वारा अपील क्यों नही प्रस्तुत की गयी। इस सन्दर्भ में अपील में या अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

दफा-5 कानून मियाद में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया है। इस सन्दर्भ में अभिभाषक अप्रार्थी/रिस्पोडेन्ट ने पूर्व निर्णित अन्य प्रकरणों में उद्दरित नजीरो का ही हवाला देते हुये बहस में निवेदन किया कि देरी से अपील प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में प्रार्थी/अपीलार्थी को देरी के प्रत्येक दिन का विवरण सहित कारण देना आवश्यक है जो प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा नही किया गया है बल्कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर देरी की गई है जिसका लाभ अपीलार्थी को नही दिया जाना चाहिये। अत: प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद ख़ारिज फरमाया जाकर अपील मियाद बाहर प्रस्तुत होने से ख़ारिज की जावे।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी घनश्यामदास को वाद की सुनवाई हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये थे किन्तु वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुये न ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार अपना पक्ष प्रस्तुत किया। मूल प्रतिवादी घनश्यामदास का निधन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के लगभग 2 वर्ष पश्चात हुआ है। इस दौरान मूल प्रतिवादी घनश्यामदास की और से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्द समयावधि में अपील प्रस्तुत करने का कोई प्रयास नही किया गया बल्कि उनके जीवनकाल में उन्होंने उनके द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नही की। यह अपील मूल प्रतिवादी घनश्यामदास के पुत्र के द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसमे देरी से अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई विशिष्ट कारण का उल्लेख नही किया गया है, ऐसे में अभिभाषक अप्रार्थी/रिस्पोडेन्ट द्वारा उद्दरित माननीय न्यायालयों की नजीरो के मद्देनजर अतिविलम्ब से प्रस्तुत अपील में विलम्ब को अनदेखा करने का कोई कारण प्रतीत नही होता। फलस्वरूप प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद सारहीन होने से ख़ारिज किया जाता है। साथ ही अपील अपीलार्थी मियाद बाहर होने से ख़ारिज की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

(9)

अपील संख्या 793/2018 उनवानी ललिता देवी बनाम गोकुल। यह अपील सहायक कलेक्टर कोटपुतली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11/04/2017 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 14/08/2018 को प्रस्तुत हुई है। चूँकि अपील एक वर्ष 4 माह पश्चात यानी मियाद बाहर प्रस्तुत हुई है, इसलिये अपील के साथ मियाद के सम्बन्ध में दफा-5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है।

प्रार्थना पत्र की बहस के सन्दर्भ में अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी ने बहस के प्रारम्भ में निवेदन किया की अपीलार्थी संख्या 1 ललिता देवी के पति गम्भीर मानसिक बीमारी से 5-6 वर्ष से पीड़ित रहे है एवं अपीलार्थी संख्या 2 श्रीमती शिला देवी के पति भी 4-5 साल से बीमारी के पश्चात उनका निधन हो गया। अपीलार्थीगण अशिक्षित एवं पदनिशीन महिलाये है जो घर से बाहर नही निकलती, जिससे अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के निणर्य की जानकारी नही हो सकी। सर्वप्रथम अपीलार्थीगण को दिनांक 06/08/2018 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी तब हुई जब रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थीगण को ऐलानिया धमकी दी की उनके हक़ में निर्णय हो गया है। अपीलार्थीया का भूमि से कोई लेना देना नही है, अब वे अपीलार्थीगण को बेदखल कर जबरन कब्जा करेंगे तत्तपश्चात अपीलार्थीया ने दिनांक 09/08/2018 को नकल प्राप्त कर बगैर किसी विलम्ब के अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी। अपील प्रस्तुत करने में जो भी विलम्ब हुआ है वह अपीलान्ट्स की जानकारी के अभाव में व विशेष परिस्थितियों के कारण हुआ है। अत: अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण फरमाया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी/रिस्पोडेन्ट ने हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 25/11/2014 की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर तामिल करवाई गयी थी किन्तु वे अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आये। उनके द्वारा वाद में कोई रूचि नही ली गयी एवं अपील भी अतिविलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसका कारण प्रार्थना पत्र में दोनों अपीलार्थीयाओ के पति के बीमार होने का तथ्य अंकित किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद में पक्षकार अपीलार्थीयागण स्वयं थी, इससे पति के बीमार होने के कारण का लाभ वह स्वयं नही उठा सकती क्युकी वाद में पति पक्षकार नही था। अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में आगे निवेदन किया की अपीलार्थीयागण ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11/04/2017 के विरुद्द अपील दिनांक 14/08/2018 को प्रस्तुत की है यानि अपील एक वर्ष चार माह पश्चात प्रस्तुत की गई है जिससे उनका यह कथन कतई मान्य नही हो सकता की इस दौरान उन्हें कभी समय नही मिला हो की वे अपनी जमीन के सम्बन्ध में लम्बित वाद या उसके निर्णय के पश्चात अपील प्रस्तुत करने में तत्परता बरतती। अभिभाषक अप्रार्थी/रिस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में आगे हमारा ध्यान अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना दफा-5 एवं उसके साथ प्रस्तुत शपथ पत्र की और आकर्षित करा कर निवेदन किया की अपील ललिता देवी व शीला देवी दोनी अपीलान्ट्स की और से पेश की है जबकी दफा-5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र के साथ मात्र ललिता देवी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, शीला देवी का शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है जबकि दोनो अपीलान्ट्स का शपथ पत्र प्रस्तुत होना आवश्यक है जिससे प्रार्थी /अपीलार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद संधारण योग्य ही नही है। अत: प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद ख़ारिज फरमाया जाकर अपील मियाद बाहर प्रस्तुत होने से ख़ारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है की दोनों अपीलार्थीयागण जो की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण रही है, को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया किन्तु वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुई, न ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

रहते वाद में कोई रूचि दर्शाई। इस न्यायालय के समक्ष भी अपील एक वर्ष चार माह पश्चात प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थीया संख्या 2 के पति रामजीलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है जिसमे रामजीलाल की मृत्यु का दिनांक 03/02/2018 अंकित है। उनकी मृत्यु के पश्चात भी छ. माह 11 दिन पश्चात अपील प्रस्तुत की गयी है यदपि दोनो अपीलार्थीयागण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं पक्षकार थी जिससे इतने लम्बे समय के व्यतीत होने के पश्चात अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई स्पष्ट कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया गया है, जिससे अभिभाषक अप्रार्थी/रिस्पोडेन्ट द्वारा उद्दरित विभिन्न माननीय न्यायालयों की नजीरो के परिपेक्ष में प्रार्थिया/ अपीलार्थीयागण को अपील प्रस्तुत किये जाने में हुये अतिविलम्ब का बगैर किसी उचित कारण के लाभ नही दिया जा सकता। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया/ अपीलार्थीयागण द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद ख़ारिज किया जाता है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थीयागण मियाद बाहर प्रस्तुत होने से ख़ारिज की जाती है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर उपरोक्त चारो अपीले मियाद बाहर प्रस्तृत होना धारित हो जाने से ख़ारिज की जाती है आदेश की एक-एक प्रति चारो पत्रावलियो में सलग्न की जावे।

पत्रावलियां फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/08/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर